

कार्यालय उप वन संरक्षक, धौलपुर

क्रमांक एफ ()एफ.सी.ए/उवसं/2022/ 6551

दिनांक:- 29/09/2022

निमित्त,

अधिशायी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड बाडी जिला धौलपुर

विषय:- डिमान्ड नोटिस जारी करने बावत्।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 826 दिनांक 26.08.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपको निम्नांकित 4 साइटों का संशोधित डिमांड नोटिस संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कृपया राशि शीघ्र जमा कराने की कृपा करें।

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	प्रोजेक्ट नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	डिमान्ड राशि (रुपयों में)
1	Constraction of Road from Dhoddh to Khidarpur village, Tahsil- Sarmathura, Distt. Dholpur	FP/RJ/ROAD/15218/2015	0.90	3193878
2	Diversion of 1-26 ha. forest land for construction of BT Road from Sirmathura Jhiri road km 18 to Gironiya, Distt. Dholpur	FP/RJ/ROAD/15969/2015	1.26	4471429
3	Constraction of BT Road from Sone ka gurja Road km 16/100 to Indora village, Tahsil- Sarmathura, Distt. Dholpur	FP/RJ/ROAD/16024/2015	4.2703	15154240
4	Constraction of BT Road Sirmathura From Jhiri Road 9/0 to Mallpura village, Distt. Dholpur	FP/RJ/ROAD/15972/2015	1.08	3832653
योग- Two Crore Sixty Six Lacs Fifty Two Thousand Two hundred only.				26652200

आपके द्वारा उपरोक्त चारों प्रकरणों में 5 वर्ष से अधिक पहले ही सड़क निर्माण कर लिया गया है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के कारण:

1. भारत सरकार के Circular दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु B(i) NPV राशि का 5 गुणा जमा कराना है।
2. वृक्षारोपण हेतु वर्तमान प्रचलित 259 रु श्रमिक दर से NFL पर वृक्षारोपण की 198053 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से राशि जमा करानी है।

संलग्न:- परिशिष्ट-ए

(किशोर गुप्ता)
उप वन संरक्षक
धौलपुर

क्रमांक एफ ()एफ.सी.ए/उवसं/2020/6552-53

दिनांक:- 29/09/2022

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

उप वन संरक्षक
धौलपुर

परिशिष्ट-ए

In Words: Two Crore Sixty Six Lacs Fifty two Thousand Two hundred only.